

माननीय न्यायालय □□.□□. □□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□.□□.

□□ / □□ ACFOLI INC, — □□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ प्राधिकरण और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. 2008 □□ □□□□□□ 971

11 □□□□□□, 2008

□□□□ □□ □□□□□□□, 1950 — अनुच्छेद 226 — रंगाई इकाइयों को स्थानांतरित करने की नीति-याचिकाकर्ता को 15000 वर्ग मीटर और दूसरे को 5000 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन की बोर्ड की सिफारिश-निर्धारित राशि के भुगतान के साथ स्वीकृति का संचार करने में विफलता-भूखंडों को रद्द करना-अंतिम मौका देते हुए नए आवेदन आमंत्रित किए गए-याचिकाकर्ता चूककर्ता-उद्देश्य आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना और एक "रंग क्षेत्र" बनाना है-याचिकाकर्ताओं को हालांकि पहले चूककर्ता को भी एक मौका दिया जा सकता है क्योंकि यह आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों से प्रदूषणकारी रंगाई और मुद्रण इकाइयों को स्थानांतरित करने के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा-याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान मूल्य पर क्रमशः 2100 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के आकार के भूखंडों के पुनः आवंटन के लिए किया गया प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि आवंटन के लिए बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में क्रमशः 15000 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए थी। उनके द्वारा एक वैध तर्क दिया जा सकता था कि वे बोर्ड द्वारा अनुशंसित आकार के बराबर भूखंड के आवंटन के हकदार हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बोर्ड ने एकफोली आईएनसी को 15000 वर्ग मीटर और अन्य याचिकाकर्ता मेसर्स गुप्ता टेक्स्टाइल्स को 5000 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन की सिफारिश की है। यह उपर्युक्त स्थिति थी कि मुख्य प्रशासक ने अन्य आवंटियों द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए 23 मार्च, 2006 को संबंधित संपदा अधिकारी को निर्देश दिया था कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित समान आकार का भूखंड सर्वेक्षण सूची में उल्लिखित सभी इकाइयों को आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि भूखंड बोर्ड द्वारा

की गई सिफारिश के अनुसार बनाए गए हैं। उस आधार पर, याचिकाकर्ता पहले किए गए आवंटन पर आपत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्यर्थी राज्य ने 26 फरवरी, 2002 को एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य रंगाई और मुद्रण गतिविधियों में लगी इन प्रदूषणकारी इकाइयों को फिर से स्थापित करना है, जो भूजल को दूषित करते पाए गए हैं। इसका उद्देश्य आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना है और तदनुसार सेक्टर 29 भाग II में एक "रंग क्षेत्र" बनाया गया है। शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है और इन सभी इकाइयों को 'डाइंग ज़ोन' में स्थानांतरित किया जाना है। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं के नाम उन 494 इकाइयों की सूची में शामिल हैं जिनकी पहचान की गई है।

हमारा यह भी विचार है कि 11 जुलाई, 2007 के विज्ञापन से संकेत मिलता है कि 494 इकाइयों की सूची में शामिल और 'रंग क्षेत्र' में भूखंडों के आवंटन के लिए पहचाने गए कई उद्यमी भूखंडों के आवंटन के लिए आगे नहीं आते हैं और उन्हें एक अंतिम मौका दिया गया है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता, हालांकि पहले चूक करने वाले को भी एक मौका दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रदूषणकारी रंगाई और मुद्रण इकाइयों को शहर के आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों से नए बनाए गए 'रंगाई क्षेत्र' में स्थानांतरित करने के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

यह उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की रोशनी में है कि हम याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी हैं कि उन्हें वर्तमान मूल्य पर क्रमशः 2100 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के आकार के भूखंडों को फिर से आवंटित किया जा सकता है। इसलिए हम उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं

(□□□□ 12)

□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□
□□ □□□.

□□□□ □□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□.

□□.□□. □□□□□□, □□.

(1) यह आदेश 2008 की 971 और 1469 नामक दो सिविल रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसमें कानून का एक सामान्य प्रश्न उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने इस अदालत से अनुरोध किया है कि वह पानीपत के

सेक्टर 29 भाग-2 में रंगाई इकाई स्थापित करने के लिए प्रतिवादियों को 15000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिह्नित इकाइयों की सूची-उत्तरदाता नं. 3 (संक्षिप्तता के लिए, 'बोर्ड')

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पानीपत शहर में रंगाई और मुद्रण गतिविधियों में लगी छोटी इकाइयों द्वारा प्रदूषित अपशिष्ट के भेदभावपूर्ण निर्वहन के कारण भूजल के संदूषण के मामले पर पर्यावरण संरक्षण परिषद, हरियाणा की विभिन्न बैठकों में विचार किया गया था। यह देखा गया कि पानीपत की 500 इकाइयों में से, लगभग 300 छोटी इकाइयाँ, जो 5-6 व्यक्तियों को रोजगार दे रही थीं, शहर के आवासीय और गैर-अनुरूप क्षेत्रों से काम कर रही थीं। इस प्रकार, सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में काम करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को एक अलग औद्योगिक एस्टेट में स्थानांतरित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए ताकि उनके अपशिष्ट को एक सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र में उपचारित किया जा सके।

(3) 19 सितंबर, 2001 को आयोजित पर्यावरण संरक्षण परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हुडा द्वारा विकसित किया जा रहा सेक्टर 29 भाग-2 और सेक्टर 30, पानीपत उपरोक्त इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त स्थान होगा। इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए स्थलों की लागत के संबंध में मुद्दे पर भी विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भूखंड की लागत निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार प्राप्त की जा सकती है—

"(i) आवेदन पत्र के साथ मूल्य का 5%.

(ii) □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ 30
□□□□□ □□ □□□□ 10%

(iii) 10 वर्ष की अवधि में देय छमाही किश्तों में 85% शेष।

यह निर्णय लिया गया कि हुडा एक ऐसी योजना पर काम करने के लिए एक अभ्यास करेगा जिसमें बड़ी इकाइयों से अधिक शुल्क लिया जाएगा, ताकि छोटी इकाइयों द्वारा देय मूल्य को और कम किया जा सके यानी रुपये 1, 428 प्रति वर्ग गज से कम।

(4) 26 फरवरी, 2002 को हुई बैठक में मद सं. ए-84 (2) पूरक ए-84 पानीपत शहर में रंगाई इकाइयों को स्थानांतरित करने के मामले पर विचार

किया गया। यह निर्णय लिया गया कि शहर में रंगाई और मुद्रण गतिविधियों में शामिल इकाइयाँ जो आवासीय और गैर-अनुरूप क्षेत्र से काम कर रही थीं, उन्हें नए औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और हुडा द्वारा सेक्टर 29 भाग-II, पानीपत में 'लाभ नहीं नुकसान के आधार पर' उन्हें भूमि दी जानी चाहिए। इसके बाद, पानीपत में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के सर्वेक्षण दल द्वारा उन इकाइयों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, जो रंगाई और मुद्रण गतिविधियों में शामिल थीं और शहर के आवासीय और गैर-अनुरूप क्षेत्रों से संचालित थीं, ताकि उन्हें सेक्टर 29 भाग-II, पानीपत में नए स्थलों पर स्थानांतरित किया जा सके। 494 इकाइयों की एक सर्वेक्षण सूची तैयार की गई थी, जो पानीपत शहर में गैर-अनुरूप क्षेत्र में मौजूद पाई गई थी। सूची में पूरी जानकारी शामिल की गई थी। इकाई का नाम, पता, मालिक का नाम, उद्योगों का प्रकार, वर्ग मीटर में संयंत्र का कुल क्षेत्रफल, वर्ग मीटर में रंगाई खंड का कुल क्षेत्रफल, कुल निवेश, निर्वहन की मात्रा, निर्वहन बिंदु, अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थिति, स्वामित्व का प्रमाण, वायु प्रदूषण की स्थिति और वर्ग मीटर में टीम द्वारा अनुशंसित भूमि। 26 फरवरी, 2002 के नीतिगत निर्णय को एक अन्य याचिका में अनुबंध पी-4 के रूप में दर्ज किया गया है।

(5) याचिकाकर्ता, एक साझेदारी फर्म, सर्वेक्षण सूची में 12 वें स्थान पर सूचीबद्ध है और रंगाई के लिए गैर-अनुरूप क्षेत्र में व्यवसाय कर रही है। याचिकाकर्ता के मामले में (सीडब्ल्यूपी नं. 2008 का 971) यह सिफारिश की गई थी कि सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत में डाइंग ज़ोन में 15000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया जाए। इस क्षेत्र को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए 26 फरवरी, 2002 के एक निर्णय के अनुसार रंगाई और मुद्रण इकाइयों के पुनर्वास के लिए अलग रखा गया था। एक अन्य मामले में, 5000 वर्ग मीटर भूखंड के आवंटन की सिफारिश की गई थी।

(6) याचिकाकर्ता (सीडब्ल्यूपी नं. 2008 का 971) ने सेक्टर 29 भाग-II, पानीपत में 2100 वर्ग मीटर के आकार के औद्योगिक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया। इसे 26 फरवरी, 2002 के नीतिगत निर्णय के संदर्भ में 2100 वर्ग मीटर का एक भूखंड आवंटित किया गया था। दिनांक 28 नवंबर, 2003 के आवंटन पत्र के माध्यम से, जो मूल रिकॉर्ड पर है। शर्त के अनुसार नं. आवंटन पत्र के 4, याचिकाकर्ता को आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर 2,48,850 रुपये की राशि के साथ पंजीकृत डाक के

माध्यम से अपनी स्वीकृति को सूचित करना था, जो पहले से ही भुगतान की गई 1,24,425 रुपये की राशि के साथ, कुल अस्थायी मूल्य का 15% होना था। खंड 5 के अनुसार, अस्थायी मूल्य के 21,15,225 रुपये की शेष 85% राशि का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिनों के भीतर या 10 साल की अवधि में देय छमाही किश्तों में बिना ब्याज के एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है। ब्याज कब्जे की पेशकश की तारीख से जमा होना था और पहली किस्त कब्जे की पेशकश की तारीख से शुरू होनी थी। याचिकाकर्ता ने केवल 1,24,425 रुपये की राशि जमा की थी, जो प्लॉट के अस्थायी मूल्य का 5% दर्शाती है, हालांकि, उसने कुल राशि का 15% बनाने के लिए खंड 4 के संदर्भ में कोई और राशि जमा नहीं की और न ही अस्थायी मूल्य की कोई और राशि का भुगतान किया गया। नतीजतन, आवंटन 11 मार्च, 2005 (पी-3) को रद्द कर दिया गया था प्रशासक, हुडा, पंचकूला के समक्ष याचिकाकर्ता की अपील को भी 29 नवंबर, 2005/8 फरवरी, 2006 को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा भूखंड की बहाली के लिए किया गया अनुरोध, जो अध्यक्ष, हुडा, पंचकूला को किया गया था, का भी कोई जवाब नहीं आया है।

इसी तरह अन्य याचिकाकर्ता के मामले में (सीडब्ल्यूपी नं। 2008 का 1469) प्लॉट नं. 239, 'डाइंग जोन' सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत को 5000 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था-17 नवंबर, 2003 के आवंटन पत्र के माध्यम से। हालांकि, आवंटन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता आवंटन पत्र के खंड 4 के संदर्भ में आवंटन की स्वीकृति देने में विफल रहा था (Annexure P-4 with CWP No. 1469 of 2008). मामले में दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था-दिनांक 27 सितंबर, 2005/7 नवंबर, 2005 के आदेश के अनुसार (P-5)।

(7) 11 जुलाई, 2007 को हुडा ने पानीपत के डाइंग जोन, सेक्टर 29, भाग-2 में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए 'द ट्रिब्यून' सहित समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि 26 फरवरी, 2002 को हुई प्राधिकरण की 84वीं बैठक में पानीपत शहर/गैर-अनुरूप क्षेत्र से काम करने वाली डाइंग इकाइयों को स्थानांतरित करने की नीति, जैसा कि बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में किए गए सर्वेक्षण द्वारा पहचाना गया था, डाइंग जोन, सेक्टर 29, भाग-II, पानीपत में, को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद, क्षेत्र में भूखंडों के आवंटन के लिए पहचाने गए कुछ उद्यमी उस तारीख तक भूखंड के आवंटन के लिए आगे नहीं आए हैं। चूंकि भूखंडों को अनिश्चित काल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए ऐसे

उद्यमियों को फिर से अंतिम मौका दिया गया और 10 अगस्त, 2007 तक आवेदन आमंत्रित किए गए। यह भी उल्लेख किया गया कि जिन आवेदकों ने पहले ही आवेदन कर दिया था, उन्हें बकाया राशि और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अंतर के साथ नए सिरे से आवेदन करना चाहिए (P-1). याचिकाकर्ता ने फिर से रुपये की बकाया राशि के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 9 अगस्त, 2006 (पी-6) के दो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 14,43,750 जो 10 अगस्त, 2007 को पंचकूला में मुख्य प्रशासक के कार्यालय में विधिवत प्राप्त किए गए थे। (P-7)

(8) 21 सितंबर, 2007 को बोर्ड ने याचिकाकर्ता को 'शिफ्टिंग ऑफ डाइंग यूनिट्स प्रोजेक्ट' के तहत 45 दिनों के भीतर अपनी इकाई को सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत में स्थानांतरित करने के लिए एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस का जवाब 3 अक्टूबर, 2007 को यह कहते हुए दिया गया था कि उन्होंने 11 जुलाई, 2007 के नए विज्ञापन के जवाब में भूखंड के आवंटन के लिए फिर से आवेदन किया था और जैसे ही भूखंड आवंटित किया जाएगा, वे इकाई को स्थानांतरित कर देंगे (P-10). 10 दिसंबर, 2007 को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए एक बार फिर बंद करने का नोटिस जारी किया गया था कि क्यों उनकी इकाई को डाइंग जोन सेक्टर 29, भाग-II, पानीपत में स्थानांतरित नहीं किया गया (P-11). याचिकाकर्ता ने 13 दिसंबर, 2007 को फिर से वही रुख अपनाते हुए जवाब भेजा कि 11 जुलाई, 2007 के विज्ञापन के जवाब में हुडा द्वारा भूखंड आवंटित नहीं किया गया है (P-12). 4 दिसंबर, 2007 को, याचिकाकर्ता ने एस्टेट अधिकारी, हुडा, पानीपत से स्पष्टीकरण मांगा कि भूखंड 1 दिसंबर, 2007 को आवंटित किए गए थे, लेकिन उनकी इकाई का नाम आवंटन सूची में शामिल नहीं था (P-13). 14 दिसंबर, 2007 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रशासक, हुडा, पंचकूला से एक बार फिर अनुरोध किया गया (P-14)

(9) प्रत्यर्थी की ओर से दायर लिखित बयान में सं. 1 और 2, यह पक्ष लिया गया है कि याचिकाकर्ता को डाइंग जोन सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत में भूखंड के आवंटन के लिए एक और अवसर के लिए कोई कानूनी निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक चूककर्ता है जब भूखंड पहले उसे आवंटित किया गया था। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को पहले प्लॉट नं. 190, सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत, 2100 वर्ग मीटर-दिनांक 28 नवंबर, 2003 के आवंटन पत्र के माध्यम से। हालांकि, याचिकाकर्ता खंड संख्या का पालन करने में विफल रहा। आवंटन पत्र के 4 और अंततः आवंटन को रद्द कर दिया गया-दिनांक 11 मार्च,

2005 के आदेश द्वारा। याचिकाकर्ता की याचिका भी खारिज कर दी गई। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2007 के विज्ञापन के जवाब में जमा की गई धनराशि के साथ आवेदन पहले ही वापस कर दिया गया है। नं. 2156, दिनांक 8 जनवरी, 2008, क्योंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में पहले किए गए भूखंड का आवंटन आवंटन पत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहने के कारण रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को कोई नया अवसर नहीं दिया जा सकता था।

(10) याचिकाकर्ता के वकील श्री अश्वनी तलवार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की स्थिति उन लोगों से बदतर नहीं हो सकती है जिनसे अब 11 जुलाई, 2007 को विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं (P-1). विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की इकाई पुरानी साइट पर काम कर रही है और बोर्ड द्वारा 21 सितंबर, 2007 (पी-9) को स्थानांतरण के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 10 दिसंबर, 2007 को एक और समापन नोटिस जारी किया गया था (P-11). उपर्युक्त नोटिसों का विधिवत जवाब इस अनुरोध के साथ दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 11 जुलाई, 2007 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसके पुनर्वास के बिना बोर्ड याचिकाकर्ता को अपनी गतिविधि को रोकने और इकाई को बंद करने का आदेश पारित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। विद्वान वकील ने मुख्य प्रशासक, हुडा के पत्र की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसे एस्टेट अधिकारी, हुडा, पानीपत, दिनांक 23 मार्च, 2006 (जुड़े C.W.P में अनुलग्नक P-10) को संबोधित किया गया है। नं. 1469 एफ2008) ने कहा कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित समान आकार का भूखंड सर्वेक्षण सूची में उल्लिखित सभी इकाइयों को आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि भूखंड बोर्ड के सर्वेक्षण दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बनाए गए हैं। विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा यदि प्लॉट नं। 190, सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत, जो पहले से ही याचिकाकर्ता की इकाई को आवंटित किया गया है, को फिर से आवंटित किया गया है और यह सर्वेक्षण दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 15000 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन के लिए जोर नहीं देगा। विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से एक वचन पत्र भी दिया कि वे 5% राशि के रिफंड के लिए जोर नहीं देंगे, जो पहले से ही जब्त हो चुकी है और वर्तमान आवंटन मूल्य पर भूखंड को फिर से आवंटित किया जाएगा।

(11) दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के वकील श्री अरुण वालिया ने तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता एक चूककर्ता है, इसलिए यह उन लोगों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता है जो पहले आगे नहीं आते हैं। याचिकाकर्ता को भूखंड के आवंटन का लाभ उठाने का मौका दिया गया था, जिसका उन्होंने लाभ उठाया था, लेकिन यह भुगतान करने में विफल रहा है और भूखंड को सही ढंग से फिर से शुरू किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि एक बार जब याचिकाकर्ता चूककर्ता हो जाता है तो इसे उन लोगों के साथ बराबरी पर नहीं रखा जा सकता है जिन्हें मौका नहीं दिया गया है।

(12) पक्षकारों के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद, उनकी सक्षम सहायता से कागजी पुस्तक और मूल रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव की जांच करने के लिए इच्छुक हैं। बोर्ड द्वारा आवंटन के लिए की गई सिफारिश दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में क्रमशः 15000 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए थी। उनके द्वारा एक वैध तर्क दिया जा सकता था कि वे बोर्ड द्वारा अनुशंसित आकार के बराबर भूखंड के आकार आवंटन के हकदार हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बोर्ड ने मेसर्स एकफोली आईएनसी को 15000 वर्ग मीटर और अन्य याचिकाकर्ता मेसर्स गुप्ता टेक्सटाइल्स को 5000 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन की सिफारिश की है। यह उपरोक्त स्थिति में था कि मुख्य प्रशासक ने अन्य आबंटियों द्वारा की गई शिकायत पर ध्यान देते हुए 23 मार्च, 2006 (C.W.P में P-10) को निर्देश दिया था। नं. 2008 का 1469) संबंधित संपदा अधिकारी को कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित समान आकार का भूखंड सर्वेक्षण सूची में उल्लिखित सभी इकाइयों को आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि भूखंड बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बनाए गए हैं। उस आधार पर, याचिकाकर्ता पहले किए गए आवंटन पर आक्षेप कर सकते थे। इसके अलावा, प्रत्यर्थी राज्य ने 26 फरवरी, 2002 को एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य रंगाई और मुद्रण गतिविधियों में लगी इन प्रदूषणकारी इकाइयों को फिर से स्थापित करना है, जो भूजल को दूषित करते पाए गए हैं। इसका उद्देश्य आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना है और तदनुसार सेक्टर 29 भाग-II में एक 'रंग क्षेत्र' बनाया गया है। शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है और इन सभी इकाइयों को 'डाइंग ज़ोन' में स्थानांतरित किया जाना है। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं के नाम उन 494 इकाइयों की सूची में हैं जिनकी पहचान की गई है। हमारा यह भी मानना है कि 11 जुलाई, 2007 के विज्ञापन से संकेत मिलता है कि 494 इकाइयों की सूची में शामिल और 'डाइंग ज़ोन' में भूखंडों के आवंटन के लिए पहचाने गए कई उद्यमी भूखंडों के आवंटन के लिए आगे नहीं आए और उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ताओं को, हालांकि पहले चूक करने वाले

को भी एक मौका दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रदूषणकारी रंगाई और मुद्रण इकाइयों को शहर के आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों से नए बनाए गए 'रंगाई क्षेत्र' में स्थानांतरित करने के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। यह उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में है कि हम याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके वकील के माध्यम से दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी हैं कि उन्हें वर्तमान मूल्य पर क्रमशः 2100 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के आकार के भूखंडों को फिर से आवंटित किया जा सकता है। इसलिए, हम उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

(13) उपरोक्त चर्चा के बाद, दोनों याचिकाओं का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटान किया जाता है: —

(i) इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2, प्लॉट संख्या 190, सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत को 2100 वर्ग मीटर मापने वाले प्लॉट (2008 के सीडब्ल्यूपी संख्या 971 में) और प्लॉट संख्या 239, सेक्टर 29, भाग-2, पानीपत को 5000 वर्ग मीटर मापने वाले प्लॉट (2008 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1469 में) को प्रत्यर्थी द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरों पर पुनः आवंटित करेंगे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद बड़े आकार के भूखंड की मांग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।;

(ii) प्रत्यर्थी द्वारा जारी मांग पत्र संख्या 1 और 2 में भूखंड की लागत, भूखंड के क्षेत्र और अन्य सामान्य नियमों और शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

(iii) याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा उठाई गई मांग की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कुल मूल्य का 50% एकमुश्त भुगतान करना होगा।

(iv) आवंटन का नियमित पत्र याचिकाकर्ताओं द्वारा एकमुश्त में प्लॉट मूल्य का 50% मूल्य जमा करने पर जारी किया जाएगा। आवश्यक राशि जमा की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर की जाएगी, जो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार शेष राशि का भुगतान करने की आगे की शर्त के अधीन होगी।

(v) यदि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार कीमत

का 50% एकमुश्त जमा करने में विफल रहता है, तो रिट याचिकाओं को उस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार किए बिना खारिज कर दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा